



SITAPUR POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”



प्रेस नोट- जनपद सीतापुर

खाद्यान घोटाले में वांछित बीस-बीस हजार के पुरस्कार घोषित पति-पत्नी गिरफ्तार

दिनांक:-08.10.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही एवम् वांछित/ पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार यादव के नेतृत्व में थाना रामकोट क्षेत्र के अंतर्गत मिड-डे मील (MDM) योजना के खाद्यान्न की कालाबाजारी और हेराफेरी करने के आरोपी ठेकेदारों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। इस मामले में थाना रामकोट पर मु0अ0सं0 256/2026 धारा 3/7 EC Act व 316(5) BNS पंजीकृत किया गया था जिसमें थाना रामकोट पुलिस द्वारा दिनांक 7/8.10.26 को दोनो वांछित पुरस्कार घोषित अभियुक्तगण (दम्पती) 1.रवि मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा, निवासी नई ग्वाल मंडी, थाना कोतवाली नगर, जनपद सीतापुर 2.मंजू मिश्रा पत्नी रवि मिश्रा निवासी नई ग्वाल मंडी थाना कोतवाली नगर, जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दोनो उपरोक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा 20,000 - 20,000 रुपये की इनामी राशि घोषित की गई थी। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 256/2026 धारा 3/7 EC Act व 316(5) BNS थाना रामकोट सीतापुर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रवि मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा, निवासी नई ग्वाल मंडी, थाना कोतवाली नगर, जनपद सीतापुर
2. मंजू मिश्रा पत्नी रवि मिश्रा निवासी नई ग्वाल मंडी थाना कोतवाली नगर, जनपद सीतापुर

पुलिस टीम-

1. उ०नि० लालधर प्रसाद
2. का० सोहन सिंह
3. रि०आ० हिमांशु अवस्थी
4. म०आ० प्रतिभा गंगवार
5. रि०म०आ० दिव्या त्रिपाठी

